

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या-451/V-2/2018-48(आ0)/2017टी0सी0
देहरादून: दिनांक 24 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 22 के अर्धीन उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority) में श्री विष्णु कुमार (सेवानिवृत्त आई0ए0एस0) E-80 Ground Floor, सेक्टर-40, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश को अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- अध्यक्ष, उत्तराखण्ड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण पर नियुक्त पदधारक को उत्तराखण्ड भू-संपदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम-2017 के नियम-18 के प्राविधानानुसार नियत वेतन एवं सुविधाएं अनुमन्य होगी। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष में से जो भी पहले घटित हो तक रहेगा।

3-यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या-451/V-2/2018-48(आ0)/2017 टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 2- निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास विभाग उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल, /कुमाऊ, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 5- रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड/समस्त प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 7- महालेखाकार, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 9- श्री विष्णु कुमार (से0नि0 आई0ए0एस0) E-80 Ground Floor, सेक्टर-40, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
- 10- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र सचिवालय परिसर देहरादून।
- 11- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड शासन एवं नोएडा

शुभचिन्ता 4/4/18

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पोथरी)
अपर सचिव